यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 1/20 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. श्रीमती शारदा पत्नि दीपचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम बाई तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:–––– अपीलांट

बनाम

1 शेरसिंह पुत्र स्व0 धर्मवीर
2 विधानन्द पुत्र स्व0. धर्मवीर
3 दयानन्द पुत्र स्व0 धर्मवीर
4 राजाराम पुत्र स्व0 धर्मवीर जाति अहीर निवासीयान ग्राम बाई तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान
5 राजस्थान राज्य जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार तिजारा
6 शाखा प्रबन्धक बी0 आर0 के0 जी0 बी0 शाखा भिण्डूसी तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:–––– रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखंड अधिकारी, तिजारा दिनांक 23.12.2019

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील रेस्पो0 :– श्री विनोद कुमार यादव

8/1/21

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

निर्णय

दिनांक 8.1.2021

----

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, तिजारा द्वारा राजस्व वाद संख्या 225/19 अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 23.12.19 के खिलाफ है, जिस निर्णय के द्वारा वादी का उक्त वाद अंतिम तौर पर डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में आराजी हाल खसरा नम्बर 340 रकबा 38 एयर वाके ग्राम बाई तहसील तिजारा की बाबत तकासमा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आरासजी में से वादिया ने 1/2 भाग खरीदा है । यह भाग वादिया ने दिनांकम 16.8.2018 को राजेन्द्र प्रसाद पुत्र परभाती से खरीदा है । शेष 1/2 भाग प्रतिवादीगण का है । इस प्रकार वादिया 1/2 भाग की तथा 1/2 भाग के प्रतिवादीगण सह खातेदार है । परन्तु शामलात में खेती करने में वादिया के हिस्से में प्रतिवादीगण आये दिन मजाहमत करते हैं । अतः वाद डिक्री किया जाकर भूमि का तकासमा किया जावे । तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त वाद अंतिम तौर पर डिक्री किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नहीं है । विभाजन के नियमों के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी का विभाजन नहीं किया गया है । वादिया अपीलांटा को सडक से लगती हुई अच्छी आराजी नहीं दी गई है । वादिया अपीलांटा ने कुर्रे रिपोर्ट पर तहत अदालत में आपत्ति प्रस्तुत की थी, परन्तु उस प्रार्थना पत्र का अलग से कोई निर्णय नहीं किया और अंतिम निर्णय के साथ ही उस प्रार्थना पत्र का निर्णय कर गलत तौर पर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । प्रार्थना पत्र के निर्णय की रिवीजन करने का समय भी नहीं दिया । वादिया को अपने खेत में आने जाने हेतु रास्ते के सम्बन्ध में कोई निर्णय पारित नहीं किया । जबकि राज्य सरकार ने अपने परिपत्र दिनांक 6.11.2004 में रास्ते सम्बन्धी निर्देश दिये हुये हैं । मौके अनुसार विभाजन नहीं किया गया है । कुर्रेजात रिपोर्ट वादिया अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार की गई है । अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो. का कथन है कि नियम 18 से 21 की पूर्णतया पालना की गई है । अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी आराजी का पक्षकारों के मध्य विभाजन किया गया है । मौका और रेकार्ड के अनुसार सही प्रकार से विभाजन किया गया है । अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । साथ ही कुर्रेजात रिपोर्ट एवं अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया । इनके अवलोकन से सिद्ध है कि अपीलाधीन निर्णय कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पारित किया गया है । वादिया अपीलांटा को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने अवसर भी प्रदान किया गया था । उसके द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है और उस आपत्ति का निस्तारण भी कर दिया गया था । पक्षकारों का जहा जहां कब्जा था, उसी अनुसार पक्षकारों का आराजी दी गई है । इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय विभाजन के नियमों के नियम 18 से 21 की पूर्णतया पालना करते हुये पारित किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 23.12.2019 यथावत रखे जाते हैं ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । तहत पत्रावली लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

08/11/2021

(कमल राम मीना)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

पील संख्या :– 1/20 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

नवान :– 1. श्रीमती शारदा पत्नि दीपचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम बाई तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:---- अपीलांट

बनाम

1 शेरसिंह पुत्र स्व0 धर्मवीर
2 विधानन्द पुत्र स्व0. धर्मवीर
3 दयानन्द पुत्र स्व0 धर्मवीर
4 राजाराम पुत्र स्व0 धर्मवीर जाति अहीर निवासीयान ग्राम बाई तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान
5 राजस्थान राज्य जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार तिजारा
6 शाखा प्रबन्धक बी0 आर0 के0 जी0 बी0 शाखा भिण्डूसी तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:---- रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखंड अधिकारी, तिजारा दिनांक 23.12.2019

8/1/21

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील रेस्पो0 :- श्री विनोद कुमार यादव

पर्चा डिकी दिनांक 8.1.2021

-------- ----------------

अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम की दिनांक 23.12.2019 यथावत रखे जाते हैं ।

8/1/21

(कमल राम मीना)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर